रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 1999/चैत्र 26, 1921
No. 185] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 1999/CHAITRA 26, 1921

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1999

सा. का. नि. 272 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक जीवन, अर्थव्यवस्था तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, प्रदाय के अविरत हित के विनियमन के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ —

(i) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 है।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इस आदेश में, जब कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रपुंज विक्रय" से पेट्रोलियम उत्पादों के फुटकर विक्रय को छोड़कर विक्रय अभिप्रेत है ;

(ख) "ब्यौहारी" से ऐसा कोई व्यक्ति फर्म अथवा कंपनी अभिप्रेत है, जो प्रत्यक्ष या अन्यथा पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण, वितरण और प्रपुंज या फुटकर विक्रय का कारबार करती है ;

(ग) "डिपो" से पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित अथवा अनुज्ञप्त किया गया कोई परिसर अभिप्रेत है ;

(घ) "प्रतिष्ठान" से ऐसा कोई परिसर अभिप्रेत है जिसमें पेट्रोलियम के प्रपुंज भंडारण के लिए विशेष रूप से कोई स्थान बनाया गया हो किन्तु इसमें बैल हैड टैंक अथवा सर्विस स्टेशन सम्मिलित नहीं हैं।

(ङ) "तेल विपणन कम्पनियों" से ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी अभिप्रेत है जो पेट्रोलियम उत्पादों का ब्योहारियों या उपभोक्ताओं को थोक अथवा फुटकर रूप में विक्रय करती है ;

(च) "तेल परिष्करण कम्पनियाँ" से ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी अभिप्रेत है जो कच्चे-तेल या इसकी किसी व्युत्पन्नियों के परिष्करण या पुन:परिष्करण में लगी हुई है ;

(छ) "पेट्रोलियम उत्पाद" से कच्चा-तेल अथवा कच्चे-तेल किसी अन्य पेट्रोलियम उत्पाद से जिसके अन्तर्गत विमानन टरबाईन तेल मोटर स्पिरिट,उच्चवेग डीजल, तरल पेट्रोलियम गैस और उत्कृष्ट मिट्टी का तेल नेफ्था तथा विलायक या व्युत्पन्नी भी है, विनिर्मित कोई उत्पाद अभिप्रेत है ;

(ज) "फुटकर विक्रय केन्द्र" से भरण केन्द्र अभिप्रेत है जिसमें मोटर स्पिरिट तथा/अथवा उच्चवेग डीजल या तरल पेट्रोलियम गैस, मिट्टी का तेल के फुटकर विक्रय के लिए ब्यौहारी/वितरक को एक या अधिक संभरण पम्प प्रदान किए गए हों ;

(झ) "फुटकर विक्रय" से एक समय में किसी एक ग्राहक को 2500 लिटर से अधिक पेट्रोलियम उत्पादों का विक्रय नहीं किया जा सकता है, अभिप्रेत है ।

3. पेट्रोलियम उत्पादों का रख रखाव—(1) जहां पर केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी भी तेल परिष्करण कम्पनी को ऐसे किसी उत्पाद अथवा मिश्रण के उत्पादन का स्तर बनाए रखने या बनाए रखे जाने के लिए विशेष शर्तों और निबंधन के अधीन रहते हुए निदेश दे सकेगी :

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक ऐसा कोई निदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

(2) (i) उप खंड (1) के अधीन निदेश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद के उत्पादन के रख-रखाव की बाबत ऐसी अवधि और ऐसी मात्रा अथवा अनुपात तथा ऐसे विनिर्देशों का उपबंध किया जा सकेगा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ii) ऐसे निदेश में ऐसे अनुपूरक या अनुषंगी उपबंध भी हो सकेंगे जैसे केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

(3) खंड (1) के अधीन निदेश जारी करते समय केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित का ध्यान रखेगी:—

(i) ऐसा निदेश जारी किए जाने की तारीख को तेल परिष्करण कंपनी की किसी पेट्रोलियम उत्पाद के उत्पादन की क्षमता।

(ii) पिछले 5 वर्षों अथवा कंपनी के चालू होने से लेकर जो भी बाद का हो, उत्पादन से मौसमी उतारचढ़ाव को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के उत्पादन के ऐसे उत्पाद की अधिकतम औसत मात्रा ;

(iii) परिष्करणी में कच्चे तेल के प्रकार की उपलब्धता तथा प्रचालनीय क्षमता ;

(iv) परिष्करणीय प्रचालन की आर्थिक क्षमता सहित अन्य कोई सुसंगत तथ्य।

4. पेट्रोलियम उत्पादों के स्टाक का रख-रखाव —

(1) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त प्रदाय बनाए रखना सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा सभी अथवा किसी भी तेल परिष्करण कंपनी अथवा कम्पनियों अथवा तेल विपणन कंपनी या कम्पनियों ऐसी तारीख से तथा ऐसी अवधि के लिए जो कि उक्त आदेश से विनिर्दिष्ट की जाए पेट्रोलियम उत्पादों का ऐसा स्टाक जो इसमें विनिर्दिष्ट किया जाए तथा ऐसे स्टाक बनाए रखने की एक सूची ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में बनाए रखेगी जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) ऐसे आदेश में ऐसे अनुपूरक या अनुषंगी निदेश भी अन्तर्विष्ट हो सकेंगे जिसे केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

(3) उपखंड (1) अधीन कोई आदेश जारी करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित का सम्यक् ध्यान रखेगी —

(i) सहयोगी परिष्करणियों की प्रचालक क्षमता, डेड स्टाक, टैंकों की सामयिक सफाई, टैंक बैगनों, पाइप लाइन अथवा टैंकर या दोनों से ताजी आपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए कम से कम भंडारण स्थान का होना तथा प्रचालनों में आमेलन विभिन्नताओं के लिए कुशल तथा टैंकर आगमन की समय तालिका ।

(ii) अन्य कोई सुसंगत तथ्य

5. **पेट्रोलियम उत्पादों का प्रदाय और वितरण का विनियमन**

(1) केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम उत्पादों के अबाध और समान वितरण तथा उपलब्धता के लिए आदेश द्वारा किसी भी तेल तेल परिष्करण कंपनी से या उसके द्वारा एक या अधिक रखे गए पेट्रोलियम उत्पादों के स्टाक से भारत में किसी भी स्थान पर स्थित संस्थापन या डिपो को किसी भी विपणन कंपनियों से ऐसी मात्रा और ऐसी रीति में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए प्रदाय करने या करवाने की अपेक्षा कर सकेगी और इस प्रयोजन के लिए उसी या किसी भिन्न आदेश द्वारा किसी तेल परिष्करण कंपनी से तेल विपणन कम्पनी को ऐसा पेट्रोलियम उत्पाद या उत्पादों को ऐसी अवधि के लिए जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) किसी संस्थापन अथवा डिपो का प्रत्येक प्रभारी, किसी तेल विपणन कंपनी द्वारा प्रदाय किए गए पेट्रोलियम उत्पाद अथवा उत्पादों की प्राप्ति होने पर चाहे वह उपखंड (1) के अन्तर्गत किए गए या अन्यथा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में उन्हें ऐसे क्षेत्रों और ऐसी रीति में जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, वितरण और विक्रय करेगा।

1167/G1/99-1B

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार किसी भी समय किसी डिपो अथवा संस्थापन के प्रभारी को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ के समान वितरण के लिए आवश्यक हों।

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी डिपो या संस्थापन के प्रभारी को ऐसे निदेश देने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जो ऐसे पेट्रोलियम उत्पाद या उत्पादों के समान वितरण के लिए आवश्यक हो।

(3) उपखंड (1) में निर्दिष्ट आदेश में, किसी पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति से संबंधित ऐसे अनुपूरक या आनुषंगिक उपबंध अन्तर्विष्ट हो सकेंगे, जिनमें ऐसी कीमतें और अन्य प्रभार भी सम्मिलित हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

6. **पेट्रोलियम पदार्थों की खुदरा आपूर्ति का विनियमन**

(1) जहां एक डीलर तथा तेल विपणन कंपनी के बीच करार के अन्तर्गत कोई पेट्रोलियम पदार्थ किसी खुदरा बिक्री केन्द्र को प्रदाय किया जाना है और केन्द्रीय सरकार की राय है कि आम जनता की मांग को पूर्ण रूप से या भागत: पूरा करने के लिए वह पेट्रोलियम पदार्थ चाहे किसी भी कारण से खुदरा बिक्री केन्द्र में उपलब्ध नहीं हो सकेगा तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी अन्य तेल विपणन कंपनी को ऐसी अवधि के लिए जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए अथवा ऐसी अवधि तक जब तक कि मूल आपूर्ति करने वाली कम्पनी आपूर्ति को पुन: आरंभ करने में समर्थ हो, ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ के ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्र पर परिदत्त करने का निदेश दे सकेगी तथा इसके बाद आदेश में विनिर्दिष्ट तेल विपणन कंपनी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उत्पाद को परिदत्त करे तथा डीलर का कर्त्तव्य होगा कि वह कीमतों व अन्य प्रभारों के बदले परिदत्त करने के लिए इस प्रकार आदेशित पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त कर उसकी बिक्री करें;

(2) डीलर तथा तेल आपूर्ति करने वाली कंपनी के बीच हुए किसी करार की कोई बात प्रतिकूल होने पर भी उपधारा (1) के अन्तर्गत किए जा सकने वाला आदेश प्रभावी होग।

(3) तेल विपणन कंपनी अथवा डीलर के विरुद्ध उपखंड (1) के अधीन किए गए आदेश के अनुसार किसी पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण, प्राप्ति तथा बिक्री करने के लिए कोई मुकदमा, अभियोजन, विधिक कार्यवाई या अन्य कोई कार्रवाही नहीं की जाएगी।

7. **डीलरों के खुदरा बिक्री केन्द्रों और अन्य कारबार परिसरों का अधिग्रहण**

(1) यदि केन्द्रीय सरकार की पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति तथा उनके समान वितरण को सुनिश्चित करने के दृष्टि से और डीलर या डीलरों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी या सभी तेल विपणन कंपनियों या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को, जो जिला आपूर्ति अधिकारी से कम श्रेणी का नहीं हो जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डीलर के किन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए किसी खुदरा बिक्री केन्द्र और/या कारबार परिसर जैसे शो रूम, गोदाम, कार्यालय, भंडारण परिसरों, टंकी और प्रदाय उपस्कर को, ऐसी शर्तों और निदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें आवश्यक और समीचीन समझा जाए और ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, अधिग्रहण करने या अधिग्रहण करवाने और प्रचालन के लिए निदेश दे सकेगा।

(2) उपखंड (1) में निर्दिष्ट आदेश में अधिग्रहण से संबंधित अनुपूरक या आनुषंगिक उपबंध जिनमें ऐसा संदाय जिसे केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, भी सम्मिलित हैं, अंतर्विष्ट हो सकेंगे।

(3) किसी अन्य नियंत्रण आदेश अथवा डीलर और तेल विपणन कंपनी के बीच हुए करार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उपखंड (1) के अधीन किया गया आदेश प्रभावी होगा।

8. **जानकारी का एकत्रण**

(1) प्रत्येक तेल परिष्करण कंपनी, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अभिकरण को, निम्नलिखित विषयों से संबंधित जानकारी के अतिरिक्त, जो प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद या उत्पादों के प्रत्येक के साथ वर्णित ऐसे समय के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, उपलबध कराएगी, कच्चे तेल और/या सभी उत्पादों के उपायन, स्टोकिंग, आवागमन (तट या उपतट) स्थानांतरण, आयात निर्यात तथा बिक्री से संबंधित कोई या प्रत्येक जानकारी ऐसी अवधि पर, ऐसी रीति में तथा ऐसे स्त्रोतों में से उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात्

(i) मास के संबंध में प्रत्येक मास की चार तारीख एवं प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद के वास्तविक उत्पादन के तथा तेल परिष्करण कंपनियों की प्रत्येक परिष्करणी की कुल कच्चे तेल के परिष्करण के आंकड़े,

(ii) प्रत्येक मास की दस तारीख तक अगले मास के लिए तेलपरिष्करण कंपनी की प्रत्येक परिष्करणी के संबंध में उत्पादवार उत्पादन कार्यक्रम तथा अनुमानित कच्चे तेल का परिष्करण,

(iii) यथास्थिति, प्रत्येक बुधवार को या पश्चात्वर्ती मास की 5 तारीख तक, प्रत्येक सोमवार या पूर्ववर्ती मास की पहले दिन को, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, परिष्करणी की टंकी में रखे गए पेट्रोलियम उत्पाद के स्टॉक के पृथक्-पृथक् आंकड़े,

(iv) प्रत्येक मास की चार तारीख तक,पूर्ववर्ती मास में भारत के किसी पत्तन को की गई पेट्रोलियम पदार्थों की वास्तविक तटीय लदाई,

(v) इसके द्वारा की गई पेट्रोलियम पदार्थों की प्रत्येक टैंकर लदाई के बारे में जानकारी, निम्नलिखित विषयों पर की जानकारी के साथ,

(क) टैंकर का नाम

(ख) ले जाया गया स्थोरा प्रत्येक पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा का अलग-अलग कथन करते हुए

(ग) लदाई का गंतव्य

(घ) गंतव्य पर पहुंचने की अनुमानित तारीख के साथ टैंकर की जलवहन की तारीख

(ङ) टैंकर के गंतव्य पर पहुंचने की वास्तविक तारीख

(च) लदाई के प्रेषिति का नाम तथा जहां एक से अधिक प्रेषिति हो, प्रत्येक परेषिती को, टैंकर के प्रत्येक जलवहन और उसके पहुंचने के दो दिन के भीतर परिदत्त किए जाने वाले परिमाण।

(vi) प्रत्येक बुधवार को पश्चात्वर्ती मास के 5वें दिन को, यथास्थिति, रविवार को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती सप्ताह/मास में प्रत्येक पेट्रोलियम पदार्थ के लिए पृथक रूप से प्रत्येक सप्ताह या मास में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये तट पर की गई आपूर्ति के कुल परिणाम के आंकड़े।

(2) प्रत्येक तेल परिष्करण कंपनी, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अभिकरण को, निम्नलिखित विषयों से संबंधिता जानकारी के अतिरिक्त, जो प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद या उत्पादों के प्रत्येक के साथ वर्णित ऐसे समय के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, उपलब्ध कराएगी, कच्चे तेल और/या सभी उत्पादों के उपायन, स्टोकिंग, आवागमन (तट या अपतट), स्थानांतरण, आयात, निर्यात तथा बिक्री से संबंधित कोई या प्रत्येक जानकारी ऐसी अवधि पर, ऐसी रीति में तथा ऐसे स्त्रोतों में से उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात् :—

(i) यथास्थिति, अगले बुधवार या पश्चात्वर्ती मास के 5वें दिन तक, पूर्ववर्ती सोमवार या पूर्ववर्ती मास के पहले दिन, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रत्येक मुख्य संस्थापन या किसी डिपो पर इसके द्वारा रखे गए पैट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक और ऐसे प्रत्येक पत्तन संस्थापन या डिपो के लिए पारगामी पैट्रोलियम पदार्थों के पृथक-पृथक स्टॉक;

(ii) पश्चात्वर्ती मास की 10 तारीख तक पक्षकारवार बेचे गए पेट्रोलियम उत्पाद की मात्रा;

(iii) पूर्ववर्ती मास में प्रत्येक मास की 4 तारीख तक इसके द्वारा भारत में किसी भी पत्तन को पेट्रोलियम उत्पादों की, की गई वास्तविक तटीय लदाई;

(iv) उसके द्वारा निम्नलिखित मामलों से संबंधित जानकारी के साथ पेट्रोलियम उत्पादों के प्रत्येक टैंकर लदाई के बारे में जानकारी :

(क) टैंकर का नाम

(ख) ले जाया गया स्थोरा, प्रत्येक पैट्रोलियम उत्पाद की मात्रा अलग-अलग बताएं

(ग) लदाई का गंतव्य

(घ) गंतव्य पर टैंकर के पहुंचने की अनुमानित तारीख सहित टैंकर के जलवहन की तारीख

(ङ) गंतव्य पर टैंकर के पहुंचने की वास्तविक तारीख

(च) लदाई के परेषिती का नाम तथा जहां एक से अधिक परेषिती हो वहां टैंकर की प्रत्येक जलवहन तथा उसके आगमन के दो दिनों के भीतर प्रत्येक परेषिती को परिदत्त की जाने वाली मात्रा ।

(v) मास के प्रत्येक सप्ताह में तट पर विभिन्न ग्राहकों को किए गए परिदान की कुल मात्रा के आंकड़े जो कि प्रत्येक पेट्रोलियम उतपाद के लिए प्रत्येक आपूर्ति के क्षेत्र जो पृथकत: विनिर्दिष्ट हो, यथास्थिति रविवार या मास को समाप्त पूर्ववर्ती सप्ताह, प्रत्येक बुधवार या पश्चात्वर्ती मास की 5 तारीख तक।

(3) कच्चे तेल का विनिर्माण करने वाली प्रत्येक कंपनी/कच्चे तेल का आयातकर्ता केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी भी अभिकरण को परिष्करण करने, स्टॉक रखने, संचलन (तट पर या अपतट पर) अंतरण, आयात, निर्यात और कच्चे पेट्रोलियम की बिक्री और वहां से परिष्कृत सभी उत्पादों की ऐसी-अवधि, ऐसी रीति और ऐसे स्रोत की बाबत प्रत्येक मांगी गई जानकारी देगा जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं और इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मामले के संबंध में और ऐसे पैट्रोलियम उत्पाद या उत्पाद की बाबत जानकारी प्रत्येक मामले के सामने उपदर्शित समय के भीतर देगा जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अर्थात् :—

(i) पूर्ववर्ती सोमवार या पूर्ववर्ती मास के पहले दिन को उसके द्वारा अभिनिर्धारित कच्चे पैट्रोलियम का स्टॉक प्रत्येक मुख्य कच्चा तेल उत्पादन केन्द्र या किसी अन्य मध्यवर्ती कच्चा भंडारण केन्द्र पर विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा और प्रत्येक ऐसे कच्चा तेल भंडारण केन्द्र के लिए अभिवहन कच्चे तेल का अलग-अलग स्टॉक, यथास्थिति आगामी बुधवार या पश्चातवर्ती मास की पांच तारीख तक जानकारी;

(ii) पूर्ववर्ती मास में प्रत्येक मास की 5 तारीख तक उसके द्वारा उत्पादित कच्चे पैट्रोलियम की मात्रा;

(iii) पूर्ववर्ती मास में प्रत्येक मास की 4 तारीख तक उसके द्वारा की गई भारत में किसी भी पतन को कच्चे तेल की की गई वास्तविक तटीय लदाई;

(iv) उसके द्वारा निम्नलिखित मामलों से संबंधित जानकारी के साथ-साथ कच्चे तेल के प्रत्येक टैंकर की की गई लदाई के बारे में जानकारी :

(क) टैंकर का नाम;

(ख) भेजा गया स्थोरा;

(ग) लदाई का गन्तव्य;

(घ) गन्तव्य पर टैंकर के पहुंचने की अनुमानित तारीख सहित टैंकर के जलवहन की तारीख;

(ङ) गन्तव्य पर टैंकर के पहुंचने की वास्तविक तारीख;

(च) लदाई के परेषिती का नाम तथा जहां एक से अधिक परेषिती हों वहां टैंकर की प्रत्येक जलवहन तथा उसके आगमन के दो दिनों के भीतर प्रत्येक परेषिती को परिदत्त की जाने वाली मात्रा;

(v) मास के प्रत्येक सप्ताह में तट पर विभिन्न ग्राहकों को किए गए परिदान की कुल मात्रा के आंकड़े जो कि प्रत्येक परिषकरणी जो पृथकत: विनिर्दिष्ट हों, यथास्थिति रविवार या मास को समाप्त पूर्ववर्ती सप्ताह प्रत्येक बुधवार या पश्चावर्ती मास की 5 तारीख तक।

(4) प्रत्येक पैट्रोलियम उत्पाद आयातकर्ता कंपनी अपने स्वयं के उपभोग के लिए या विपणन के परियोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अभिकरण को परिष्करण करने, स्टॉक रखने, संचलन (तट पर या अपतट पर) अंतरण, आयात, निर्यात और कच्चे पैट्रोलियम की बिक्री और वहां से परिष्कृत सभी उत्पादों की ऐसी अवधि, ऐसी रिती और ऐसे स्त्रोत की बाबत भी प्रत्येक मांगी गई जानकरी देगा जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं और इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मामले के संबंध में और ऐसे पैट्रोलियम उत्पाद या उत्पादकों की बाबत जानकारी प्रत्येक मामले के सामने उपदर्शित समय के भीतर देगा जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अर्थात् :—

(i) यथास्थिति अगले बुधवार या पश्चात्वर्ती मास के पांचवें दिन तक पूर्ववर्ती सोमवार या पूर्ववर्ती मास के पहले दिन, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रत्येक मुख्य पत्तन संस्थापन या किसी डिपो पर इसके द्वारा रखे गए पैट्रोलियम उत्पादों के स्टाक और प्रत्येक ऐसे पत्तन संस्थापन या डिपो के लिए अभिवहन में पैट्रोलियम पदार्थों का पृथक रूप से स्टाक;

(ii) पश्चात्वर्ती मास के पांचवे दिन तक मास के दौरान प्रत्येक पैट्रोलियम उत्पाद की पृथक रूप से आयातित मात्रा, आयात के स्त्रोत, पत्तन के नाम और आयात की तारीख के साथ ;

(iii) मास के दौरान आने वाले महीने की दस तारीख तक पार्टीवार पैट्रोलियम उत्पादों की मात्रा की जानकारी देना।

(iv) पिछले महीने के दौरान भारत के किसी भी पत्तन पर इसके द्वारा की गई पैट्रोलियम उत्पादों की वास्तविक तटीय लदाई की जानकारी प्रत्येक मास की चौथी तारीख तक देना;

(v) निम्नलिखित मामलों की सूचना सहित इसके द्वारा निर्मित पेट्रोलियम उत्पादकों के प्रत्येक टेंकर की लदाई के बारे में जानकारी देना :—

(क) टेंकर का नाम ;

(ख) प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद की मात्र का अलग से विवरण देते हुए स्थोरा ले जाया गया ;

(ग) लदाई का गन्तव्य ;

(घ) टेंकर के आगमन की तारीख सहित उसके गन्तव्य तथा जल यात्रा की तारीख ;

(ङ) अपने गन्तव्य तट पर टैंकर के आने की वास्तविक तारीख ;

(च) लदाई के परेषिती का नाम और जहां एक से अधिक परेषिती हों, वहां प्रत्येक को टैंकर की जल यात्रा और इसके आगमन के दो दिनों के अन्दर प्रत्येक परेषिती को उनकी मात्राओं को परिदत करना।

(vi) महीने के प्रत्येक सप्ताह में तट पर विभिन्न ग्राहकों को प्रदाय की गई कुल मात्रा के आंकडे जो कि प्रत्येक प्रदाय क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट हों, के प्रत्येक पृथक पेट्रोलियम उत्पाद हेतु यथास्थिति पिछले सप्ताह के रविवार का दिन/महीने में से पश्चात्वर्ती महीने की पांच तारीख अथवा प्रत्येक बुधवार को जानकारी देना।

9. प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति—केन्द्र या राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी अथवा उप अधीक्षक या इस से ऊपर के पद वाला कोई पुलिस अधिकारी जिसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार के यथास्थित सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो अथवा सरकारी तेल कम्पनी का बिक्री अथवा उससे ऊपर के पद का कोई अधिकारी जो इस आदेश को अनुपालना सुनिश्चित कर सकता हो अथवा अपने को इस बात से सन्तुष्ट समझता हो कि यह आदेश अथवा इसके अधीन कोई निर्मित आदेश की अनुपालना निम्नलिखित के साथ की जा रही है :—

(क) किसी पैट्रोलियम उत्पाद के परिवहन हेतु प्रयोग में लाए या लाए जा सकने योग्य किसी यान या वैस्सल को रोककर तलाशी लेना।

(ख) किसी भी स्थान में प्रवेश करना और तलाशी लेना।

(ग) कच्चे तेल अथवा पैट्रोलियम उत्पाद के किसी स्टाक जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है अथवा किया जा रहा है अथवा किया जाने वाला है।

स्पष्टीकरण :—

इस खंड के प्रयोजन के लिए ''सरकारी तेल कम्पनी'' का अर्थ है—एक तेल परिष्कृत कम्पनी अथवा तेल विपणन कम्पनी जोकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अधीन परिभाषित एक सरकारी कंपनी है।

10. निरसन और व्यावृति :—

(i) पैट्रोलियम उत्पाद (सूचना संग्रह) आदेश 1966, पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन आदेश, 1970 का रख-रखाव), पैट्रोलियम उत्पाद (खुदरा बिक्री केन्द्रों की आपूर्ति का नियमन) आदेश 1974, पैट्रोलियम उत्पाद (आपूर्ति एंव वितरण) आदेश, 1972 तथा पैट्रोलियम (भंडारण) आदेश, 1971 द्वारा सिवाय उन बातों के जिन्हें इस आदेश के प्रारंभ के पूर्व उन आदेशों के अधीन किया गया है या करने का लोप किया गया है, निरसित किए जाते हैं।

(ii) उक्त आदेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई अथवा कोई कार्य ऐसे निरसन के होते हुए भी इस आदेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन समझे जाएंगे।

[फा. सं. पी-11013/2/97-वितरण]

देवी दयाल, अपर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 16th April, 1999

G.S.R. 272(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, (10 of 1955), in order to regulate production, storage and supply of petroleum products in the interest of sustaining public life, economy and protecting consumers interest, the Central Government hereby makes the following Order, namely :-

1. **Short title, extent and commencement.** – (i) This order may be called the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1999.

(ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** – In this Order, unless the context otherwise requires, -

(a) **"bulk sale"** means sale of petroleum products other than retail sale;

(b) **"dealer"** means any person, firm or company who carries on, directly or otherwise, the business of storage, distribution and sale of petroleum products, in bulk or retail.

(c) **"depot"** means any premises approved or licenced by the Chief Controller of explosives for storage of petroleum products;

(d) **"installation"** means any premises wherein any place has been specially prepared for the storage of petroleum in bulk, but does not include a well-head tank or service station;

(e) **"oil marketing companies"** means any person, firm or company engaged in sale of petroleum products to dealers or consumers in bulk or retail;

(f) **"oil refining companies"** means any person, firm or company engaged in refining crude or re-refining of crude oil or any derivatives thereof;

(g) **"petroleum products"** means crude oil or any product manufactured out of crude oil or from another petroleum product including Aviation Turbine Oil, Motor Spirit, High Speed Diesel, Liquified Petroleum Gas, Superior Kerosene Oil, Naphtha and Solvent or any derivative.

(h) **"retail outlet"** means filling station in which one or more dispensing pumps have been provided for retail sale of Motor Spirit and/or High Speed Diesel or an LPG distributorship or a Kerosene dealership.

(i) **"retail sale"** means sale of petroleum products not exceeding 2500 litres to any one customer at a time.

3. Maintenance of production of petroleum products – (1) Where the Central Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may by order in writing, direct any oil refining company to maintain or cause to be maintained a level of production of such product or mix subject to such terms and conditions as may be specified :

Provided that no such direction shall be passed by that Government unless the parties are given reasonable opportunity of being heard.

(2)(i) The direction under sub clause (1) may provide for the maintenance of the production of any petroleum product for such period and in such quantities or proportions and of such specification as may be specified therein.

(ii) Such direction may also contain such supplemental or incidental provisions as the Central Government may consider necessary.

(3) In issuing the direction under sub clause (1), the Central Government shall have regard to –

(i) the capacity of oil-refining company to produce any petroleum product on the date of issuing such direction;

(ii) the highest average quantity of production of such product or products of the company for the preceding five years or since inception whichever is later, after taking into account seasonal fluctuations in production;

(iii) type of crude oil availability and operational flexibility existing in the refinery;

(iv) any other relevant factor including economic viability of the refining operation.

4. Maintenance of stocks of petroleum products – (1) If, with a view to ensuring the maintenance of adequate supplies of petroleum products, the Central Government is of opinion that it is necessary in the public interest so to do, it may, by an order in writing, direct all or any oil-refining company or companies or oil marketing company or companies to maintain, or cause to be maintained, by such date and for such period as may be specified in the said order, such stock of petroleum products as may be specified therein and to maintain an inventory of such stock in such form and in such manner as may be specified therein.

(2) Such order may also contain such supplemental or incidental directions as the Central Government may consider necessary.

(3) Before issuing any order under sub clause (1), the Central Government shall have due regard to –

(i) the operating level of the associated refineries, dead stocks, periodic cleaning of tanks, minimum storage space required for receiving fresh supplies from tank wagons, pipeline or tanker or both, and cushion for absorbing variations in operations and tanker arrival schedules;

(ii) any other relevant factor.

5. Regulation of supply and distribution of petroleum products.– (1) The Central Government for uninterrupted and equitable distribution and availability of petroleum products may, by order, require any oil marketing company to supply or cause to be supplied one or more petroleum products from the stocks held by it at any place in India to installations or depots of any oil marketing companies in such quantities and in such manner as may be specified therein and for this purpose may, by the same or a different order, require any oil refining company to make available to the oil marketing company such petroleum product or products for a period specified in the order.

(2) Every person-in-charge of any installation or depot, shall on receipt of the petroleum product or products supplied by any oil marketing company whether in

pursuance of any order made under sub-clause (1) or otherwise, distribute and sell the same in such areas and such manner, as specified;

Provided that the Central Government at any time, may, issue such further directions to the person-in-charge of a depot or installation as may be necessary for equitable distribution of such petroleum product or products;

Provided further that the Central Government may by general or special order authorise any State Government or its officers, to issue such directions to the person-in-charge of a depot or installation as may be necessary for the equitable distribution, of such petroleum product or products subject to such terms and conditions, as may be specified.

(3) The order referred to in sub-clause (1) may contain such supplemental or incidental provisions relating to the supply of any petroleum product including prices and other charges as the Central Government may consider necessary.

6. **Regulation of retail supply of petroleum products** – (1) Where under any agreement between a dealer and an oil marketing company, a petroleum product is to be supplied at a retail outlet, and the central Government is of the opinion that such petroleum product may not be available at the retail outlet for any reason whatsoever, either wholly or partially to meet the demand of the general public, it may, by order in writing, direct any other oil marketing company to deliver, for such period as may be specified in the order or such period by which the original supplying company is able to restore the supply, such petroleum product at such retail outlet and thereupon it shall be the duty of the oil marketing company specified in the order to deliver, and of the dealer to receive and sell the petroleum product so ordered to be delivered against price and other charges.

(2) The order may under sub-clause (1) shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any agreement between the dealer and the oil distributing company.

(3) No suit, prosecution, legal proceedings or any other action shall lie against the oil marketing company or a dealer for storing, receiving and selling any petroleum product in accordance with the order made under sub-clause (1).

7. **Take over of retail outlets and other business premises of dealers** – (1) If, with a view to ensuring adequate supplies of petroleum products and their equitable distribution, the Central Government, after giving opportunity of hearing to the dealer or dealers, is of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, it may, by an order in writing, direct all or any oil marketing companies or any officer of the

Central Government or State Government not below the rank of District Supply Officer as may be specified, to take over or cause to take over and operate, either by themselves or any other person appointed by them, any retail outlet and/or business premises like showroom, godown, office, storage premises, tanks and dispensing equipment of dealers for sale of any petroleum products for such period as specified in the order subject to such conditions and directions as may be considered necessary and expedient.

(2) The Order referred in sub-clause (1) may contain such supplemental or incidental provisions relating to the take over including such payment as the Central Government may consider necessary.

(3) The Order made under sub-clause (1) shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other control order or agreement between the dealer and the oil marketing company.

8. Collection of information - (1) Every oil refining company shall furnish to the Central Government or an agency nominated by Central Government any and every information that may be asked for in regard to the procurement, stocking, movements (on shore or off shore), transfers, imports, exports and sales of crude oil and or all products at such period, in such manner and from such of the sources, as may be specified from time to time, in addition to information relating to the following matters and within the time mentioned against each in respect of such petroleum product or products as may be specified by the Central Government, namely :-

(i) figures of actual production of each petroleum product and the total crude throughput in each of the refineries of the oil refining companies in respect of the preceding month by the 4th day of every month;

(ii) product-wise production programme and expected crude throughput in respect of each refinery of the oil refining companies for the next month by the 10th day of every month;

(iii) figures of stock separately, of petroleum products held on each preceding Monday or on the first day of the preceding month, as may be specified in the refinery's tanks, every Wednesday or 5th day of the subsequent month, as the case may be;

(iv) actual coastal shipments of petroleum products made by it to any port in India in the preceding month by the 4th day of every month;

(v) information about each tanker shipment of petroleum products made by it together with the information on the following matters;

(a) Name of tanker;

(b) Cargo carried, stating separately the quantities of each petroleum product;

(c) Destination of the shipment;

(d) Date of sailing of the tanker with the expected date of its arrival at the destination;

(e) Actual date of arrival of the tanker at the destination;

(f) Name of the consignee of the shipment and, where there is more than one consignee, the quantities to be delivered to each consignee within two days of each sailing of tanker and arrival thereof;

(vi) figures of total quantities of supplies made on shore in each week or month as may be specified to each supply area, separately for each petroleum product, for the preceding week ending on Sunday/month, as the case may be, every Wednesday or 5th day of the subsequent month.

(2) Every oil marketing company shall furnish to the Central Government or an agency nominated by Central Government any and every information that may be asked for in regard to the refining, stocking, movements (on shore or off shore), transfers, imports, exports and sales of petroleum crude and any or all products, refined there from, at such periods, in such manner and from such of the sources as may be specified from time to time, in addition to information relating to the following matters and within the time mentioned against each matter in respect of such petroleum product or products as may be specified by the Central Government, namely;

(i) stocks of petroleum products held by it on the preceding Monday or on the first day of the preceding month as may be specified at every main port installation or any depot and separately stocks of petroleum products in transit for each such port installation or depot, by following Wednesday or 5th day of the subsequent month, as the case may be;

(ii) quantity of petroleum products sold party-wise during the month by 10th day of the subsequent month;

(iii) actual coastal shipments of petroleum products made by it to any port in India in the preceding month, by the 4th day of every month;

(iv) information about each tanker shipment of petroleum products made by it together with the information on the following matters: -

(a) Name of tanker:

(b) Cargo carried, stating separately the quantities of each petroleum product:

(c) Destination of the shipment:

(d) Date of sailing of the tanker with the expected date of its arrival at the destination:

(e) Actual date of arrival of the tanker at the destination:

(f) Name of the consignee of the shipment and, where there is more than one consignee, the quantities to be delivered to each consignee within two days of each sailing of the tanker and arrival thereof:

(v) figures of total quantities of supplies made to different customers on the shore in each week of month as may be specified to each supply area, separately for each petroleum product, for the preceding week ending on Sunday or month, as the case may be, by every Wednesday, or 5th day of the subsequent month.

(3) Every crude oil manufacturing company/crude oil importer shall furnish to the Central Government or an agency nominated by Central Government any and every information that may be asked for in regard to the refining, stocking, movements (on shore or off shore), transfers, imports, exports and sales of petroleum crude and any or all products, refined there from, at such periods, in such manner and from such of the sources as may be specified from time to time, in addition to information relating to the following matters and within the time mentioned against each matter in respect of such petroleum product or products as may be specified by the Central Government, namely: -

(i) stocks of petroleum crude held by it on the preceding Monday or on the first day of the preceding month as may be specified at every main crude production centre or any other intermediate crude storage centre and separately stocks of crude in transit for each such crude storage centre,

by following Wednesday or 5th day of the subsequent month as the case may be;

(ii) quantity of petroleum crude produced by it during the preceding month by the 5th day of every month;

(iii) actual coastal shipments of crude made by it to any port in India in the preceding month, by the 4th day of every month;

(iv) information about each tanker shipment of crude made by it together with the information on the following matters: -

(a) Name of tanker:

(b) Cargo carried:

(c) Destination of the shipment:

(d) Date of sailing of the tanker with the expected date of its arrival at the destination:

(e) Actual date of arrival of the tanker at the destination:

(f) Name of the consignee of the shipment and, where there is more than one consignee, the quantities to be delivered to each consignee within two days of each sailing of the tanker and arrival thereof:

(v) figures of total quantities of supplies made to different customers on the shore in each week of month as may be specified to each refinery, for the preceding week ending on Sunday/month, as the case may be, by every Wednesday, or 5th day of the subsequent month.

(4) Every company importing petroleum products either for its own consumption or for marketing purposes shall furnish to the central Government or an agency nominated by Central Government any and every information that may be asked for in regard to the refining, stocking, movements (on shore or off shore), transfers, imports, exports and sales of petroleum crude and any or all products, refined there from, at such periods, in such manner and from such of the sources as may be specified from time to time, in addition to information relating to the following matters and within the time mentioned against each matter in respect of such petroleum product or products as may be specified by the Central Government, namely: -

(i) stocks of petroleum products held by it on the preceding Monday or on the first day of the preceding month as may be specified at every main port installation or any depot and separately stocks of petroleum products in transit for each such port installation or depot, by following Wednesday or 5th day of the subsequent month as the case may be;

(ii) quantity imported, separately for each petroleum product during the month together with source of import, name of the port and date of import, by 5th day of the subsequent month;

(iii) quantity of petroleum products sold party-wise during the month by 10th day of the subsequent month;

(iv) actual coastal shipments of petroleum products made by it to any port in India in the preceding month, by the 4th day of every month;

(v) information about each tanker shipment of petroleum products made by it together with the information on the following matters:

(a) Name of tanker:

(b) Cargo carried, stating separately the quantities of each petroleum product:

(c) Destination of the shipment:

(d) Date of sailing of the tanker with the expected date of its arrival at the destination:

(e) Actual date of arrival of the tanker at the destination:

(f) Name of the consignee of the shipment and, where there is more than one consignee, the quantities to be delivered to each consignee within two days of each sailing of the tanker and arrival thereof:

(vi) figures of total quantities of supplies made to different customers on the shore in each week of month as may be specified to each supply area, separately for each petroleum product, for the preceding week ending on Sunday/month, as the case may be, by every Wednesday, or 5th day of the subsequent month.

9. Power of entry, search and seizure – Any Gazetted Officer of Central or State Government or any police officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police duty authorised by general or special order by Central Government or State Government as the case may be or any officer of a government oil company, not below rank of Sales Officer, may, with a view to securing compliance with this order or to satisfy himself that this order or any order made thereunder has been complied with : -

(a) Stop and search any vessel or vehicle used or capable of being used for the transport of any petroleum product;

(b) Enter and search any place;

(c) Seize stocks of any crude oil or petroleum product in respect of which he has reason to believe that a contravention of this order has been, or is being, or is about to be made.

Explanation : For the purpose of this clause "government oil company" means an oil refining company or oil marketing company which is a government company as defined under Section 617 of Companies Act, 1956;

10. Repeal and Saving – (1) The Petroleum Products (Collection of Information) Order 1966, the Petroleum Products (Maintenance of Production Order 1970, the Petroleum Products (Regulation of Supply to retail Outlets) Order 1974, the Petroleum Products (Supply and Distribution) Order 1972, and the Petroleum (Storage) Order 1971 are hereby repealed except in respect of things done or omitted to be done under those orders before the commencement of this order.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said order shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this order.

[File No. P-11013/2/97-Dist.]

DEVI DAYAL. Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054